आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** में वे दरें विनिर्दिष्ट हैं, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्‌गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए की जानी है ; और उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय-कर की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

इस प्रकार काटे गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उनसे भिन्न जो उपपैरा (ii) और उपपैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत तक ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत तक ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत तक ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत तक ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । देशी कंपनियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, दोनों दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिसमें धारा 115ञख, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक आदि भी हैं) में, अधिभार दस प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत पर काटे गए या संगृहीत किए गए कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में लागू बने रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्गृहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3,** आय-कर अधिनियम की धारा 2, जो परिभाषाओं से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे एक नया खंड (13क) "कारबार न्यास" को इस रूप में परिभाषित करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके अर्थात् इससे ऐसा न्यास अभिप्रेत है जो अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्टीकृत है, जिसकी इकाई का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित सुसंगत विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

धारा 2 के खंड (14) के विद्यमान उपबंधों में "पूंजी आस्ति" पद को परिभाषित किया गया है । इस पद को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो, आती है किंतु इसके अंतर्गत परिभाषा में यथा उपबंधित कोई व्यापार स्टाक या वैयक्तिक आस्तियां नहीं आती हैं ।

उक्त खंड (14) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "पूंजी आस्ति" पद के अंतर्गत ऐसी कोई प्रतिभूति भी आएगी जो किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति में विनिधान किया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

इसमें धारा 2 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "मुख्य आयुक्त", "आयुक्त" और "महानिदेशक" या "निदेशक" से संबंधित परिभाषाओं के खंड (15क), खंड (16) और खंड (21) को प्रतिस्थापित किया जा सके । इसमें खंड (34क), खंड (34ख), खंड (34ग) और खंड (34घ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त", "प्रधान आय-कर आयुक्त", "प्रधान आय-कर महानिदेशक" और "प्रधान आय-कर निदेशक" पदों को इस रूप में परिभाषित किया जा सके जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 117 के अधीन आय-कर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे ।

धारा 2 के खंड (24) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "आय" पद को परिभाषित किया गया है । उक्त खंड (24) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय की परिभाषा से सम्बन्धित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट किसी धनराशि को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती वर्षों के सम्बन्ध में लागू होगा।

धारा 2 के खंड (42क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अल्पकालीन पूंजी आस्ति से उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारिती द्वारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है । तथापि, किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी यूनिट या पारस्परिक निधि के किसी यूनिट या जीरो कूपन बंधपत्र की दशा में, इसे अल्पकालीन पूंजी आस्ति के रूप में अर्हक बनाने के लिए धारण अवधि बारह मास की है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी में धारित ऐसे शेयर की दशा में, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उसे अल्पकालीन पूंजी आस्ति के रूप में अर्हक बनाने के प्रयोजन के लिए उसे धारण करने की अवधि छतीस मास से अधिक की नहीं होगी और उस प्रयोजन के लिए "किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति" शब्दों के स्थान पर, "भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध (किसी यूनिट से भिन्न) किसी प्रतिभूति" शब्द रखे जाएंगे । इसके अतिरिक्त किसी यूनिट की दशा में, बारह मास तक धारण करने की तत्स्थानी अवधि किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट तक सीमित होगी ।

"साधारण शेयरोन्मुख निधि" पद को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धारा 2 के खंड (42क) में यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो कारबार न्यास की यूनिट है, जिसका धारा 47 के खंड (xvii) में यथानिर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में उसका आबंटन किया गया हो, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसा शेयर धारित किया गया था या ऐसे शेयर धारित किए गए थे ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 4,** आय-कर अधिनियम में, "मुख्य आयुक्त", "आयुक्त", "महानिदेशक" और "निदेशक" पदों की परिभाषाओं से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 2 में किए गए संशोधनों को देखते हुए, पारिणामिक संशोधन करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 5,** आय-कर अधिनियम की धारा 10क का, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (23ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उसमें उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं, अस्पताल या किसी अन्य संस्था की आय के संबंध में छूट का उपबंध है, यदि ऐसा

विश्वविद्यालय या कोई अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या कोई अन्य संस्था पूर्णतया या पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित होनी चाहिए ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है ।

इसमें उक्त खंड का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव है कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह अधिसूचना या अनुमोदन किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां इस धारा के [उसके खंड (1) से भिन्न] किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से उस पूर्ववर्ष के लिए प्राप्त किसी आय को उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि आय का, उपयोजन के प्रयोजनों के लिए, अवधारण ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का दावा धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 के अधीन किसी पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किया जाएगा ।

धारा 10 में एक नया खंड (23चग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कारबार न्यास की किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में कोई आय न्यास की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी । एक "विशेष प्रयोजन एकक" पद को परिभाषित करने के लिए उपबंध करने का और प्रस्ताव है, विशेष प्रयोजन एकक से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कोई कारबार न्यास नियंत्रणकारी हित और शेयरधारिता या हित की ऐसी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशतता, जो उन विनियमों के द्वारा, जिनके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, अपेक्षित किया जाए, धारण करता है ।

धारा 10 में एक नया खंड (23चघ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त की गई हो जो आय का वह अनुपात नहीं है, जो उसी प्रकृति की है, जो इस धारा के खंड (23चग) में निर्दिष्ट की गई है, उस यूनिट धारक की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

धारा 10 के खंड (38) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध किसी कारबार न्यास की यूनिटों को भी वैसे लागू होंगे जैसे कि वह किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिटों को लागू हाते हैं । यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस खंड के उपबंध ऐसी किसी आय की बाबत जो किसी कारबार न्यास की ऐसी किन्हीं यूनिटों से, जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की गई थी, अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 6,** आय-कर अधिनियम की धारा 10कक जो विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 10कक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं या चीजों के निर्यात से या प्रदान की गई सेवाओं से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

उक्त धारा 10कक का, उसमें एक नई उपधारा (10) अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 10कक के अधीन कटौती का लाभ उठाया गया है, वहां उसी निर्धारण वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उस विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 7,** आय-कर अधिनियम की धारा 11, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में एक मुख्य शर्त यह है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के संबंध में छूट प्रदान करने के लिए, ऐसी आय, भारत में पूर्त प्रयोजनों के लिए उपयोजित की गई होनी चाहिए और जहां ऐसी आय, पूर्ववर्ष के दौरान इस प्रकार उपयोजित नहीं की जा सकती है, वहां उसको विहित पद्धति में संचित किया जाना होगा ।

उक्त धारा में नई उपधारा (6) और उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(i) जहां किसी आय का उपयोजन या संचित किया जाना या उपयोजन के लिए अलग रखा जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजनों के लिए आय, ऐसी किसी आस्ति के संबंध में, जिसके अर्जन का दावा उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा अवधारित की जाएगी; और

(ii) जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है तो धारा 10 में अंतर्विष्ट कोई बात [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 8**, आय-कर अधिनियम की धारा 12क, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के अधीन उसके समक्ष किसी न्यास या किसी संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें पूर्वोक्त धारा 12क के विद्यमान उपबंधों के अधीन उपबंधित की गई हैं । यह उपबंध किया गया है कि छूट के किसी फायदे का दावा करने से पहले न्यास या संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए और केवल ऐसा रजिस्ट्रीकरण

मंजूर किए जाने के पश्चात् ही ऐसा न्यास या संस्था ऐसी छूट के फायदे का दावा करने के लिए पात्र होगी । ऐसे न्यासों या संस्थाओं की दशा में, जिन्होंने 1 जून, 2007 के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रीकरण केवल ऐसे वित्तीय वर्ष के बाद आने के पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, जिसमें आवेदन किया गया है, प्रभावी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक बार धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण, किसी वित्तीय वर्ष में किसी पूर्त संगठन को मंजूर किया गया है तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, किसी इकाई को भी पूर्ववर्षों के मामलों में धारा 11 और धारा 12 के फायदों के लिए वहां भी हकदार बनाएगा जहां रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारण कार्यवाहियां लंबित हैं, यदि उद्देश्य और क्रियाकलाप समान बने रहते हैं, जिन पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय आयुक्त द्वारा विचार किया गया है ।

धारा 147 के अधीन कोई कार्रवाई, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे न्यास या संस्था की दशा में उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था द्वारा केवल धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त न किए जाने के कारण प्रथम निर्धारण वर्ष जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण लागू होता है, से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उक्त फायदे वहां उपलब्ध नहीं होंगे, जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण आयुक्त द्वारा किसी समय नामंजूर या रद्द कर दिया गया है ।

ये संशोधन, 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 9,** आय-कर अधिनियम की धारा 12कक, जो रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उस न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा ।

धारा 12कक में एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् यह अवेक्षा की जाती है कि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त, उस न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा । तथापि उक्त उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द नहीं किया जाएगा, यदि पूर्वोक्त न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने के लिए युक्तियुक्त कारण था ।

यह संशोधन, 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 10,** आय-कर अधिनियम की धारा 24, जो गृह संपत्ति से आय में से कटौतियों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना, वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर राशि की और जहां संपत्ति उधार ली गई पूंजी से अर्जित की जाती है, वहां उस पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की कटौती करने के पश्चात् की जाएगी । उक्त धारा के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि स्वतः अधिभोग में ली गई संपत्ति की दशा में, जहां संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें पूंजी उधार ली गई है तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाता है, उस खंड के अधीन कटौती की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत ब्याज की रकम पर कटौती की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों से संबंधित में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 11,** आय-कर अधिनियम की धारा 32कग, जो संयंत्र या मशीनरी में विनिधान से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, वहां—

(क) 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर ऐसी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटा कर आए ।

धारा 32कग में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई निर्धारिती, जो कंपनी है, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित की गई नई आस्ति की वास्तविक लागत राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी नई आस्ति की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

इसमें यह उपबंध करने के लिए एक परन्तुक अंतःस्थापित किए जाने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती ऐसे निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है ।

उक्त धारा 32कग में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, समामेलन या निर्विलयन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त निर्धारिती की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

धारा 32कग की उक्त उपधारा (2) में उपधारा (1क) के प्रति निर्देश करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त नए सिरे से अंतःस्थापित उपधारा के अधीन निर्धारिती को उक्त उपधारा (2) की परिधि में लाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 12,** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 35कघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत पूंजीगत प्रकृति के किसी व्यय, किसी भूमि या गुडविल या वित्तीय लिखत के अर्जन पर उपगत व्यय से भिन्न की बाबत, उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती का उपबंध है । उक्त धारा में यह भी उपबंध है कि " ग. कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन कटौती का फायदा ऐसे किसी विनिर्दिष्ट कारबार को नहीं मिलेगा जिसने उक्त धारा के अधीन कटौती का दावा किया है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट कारबार को धारा 10कक के अधीन कोई कटौती किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार ने धारा 35कघ के अधीन किसी कटौती का दावा किया है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) में नए खंड (कझ) और खंड (कञ) यह विनिर्दिष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि प्रचालन के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2014 या उसके पश्चात् की होगी जहां विनिर्दिष्ट कारबार लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रचालन की प्रकृति का है या किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित हो ।

धारा 35कघ में एक नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या सन्निर्मित की जाती है, आरंभ होने वाले आठ वर्षों की अवधि के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी कोई आस्ति का जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार के लिए धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट ढंग से भिन्न रूप में उपयोग में लाई जाती है । वहां एक या अधिक पूर्ववर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम को, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आए, मानो उक्त धारा 35कघ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई थी, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें आस्ति का विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उपयोग किया जाता है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (7ख) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है ।

धारा 35कघ की उपधारा (8) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित कारबारों को इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट कारबारों के रूप में सम्मिलित किया जा सके :—

(i) लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन ;

(ii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, स्थापना और उसका प्रचालन ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 13**, आय-कर अधिनियम की धारा 37, जो साधारण व्यय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा व्यय (जो धारा 30 से धारा 36 तक में वर्णित प्रकार का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का या निर्धारिती का वैयक्तिक व्यय नहीं है) जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत या किया गया व्यय है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा ।

धारा 37 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 40, जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 40 के उपबंधों में वे रकमें विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ब्याज के रूप में किसी राशि का संदाय (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन से पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि, जो भारत के बाहर या भारत में किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् पूर्ववर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन संदाय विहित समय की समाप्ति से पूर्व नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) का उपखंड (i) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड के अधीन मोक का न दिया जाना उस दशा में लागू होगा यदि पूर्ववर्ष के दौरान कर की कटौती के पश्चात् उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आय की विवरणी फाइल किए जाने की देय तारीख को या उससे पहले नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त उपखंड के विद्यमान परंतुक में यह उपबंधित है कि जहां किसी राशि की बाबत किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष में कटौती कर ली गई है किंतु किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन

विहित समय की समाप्ति के पश्चात् संदत्त की गई है वहां, ऐसी राशि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत की गई कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की गई है किंतु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली के रूप में किसी राशि का संदाय, या किराया, स्वामिस्व वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती योग्य है या किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है), ठेकेदार या उप ठेकेदार को जो निवासी है, संदेय रकम, जिस पर कर, अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य है, और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड के अधीन मोक का नहीं दिया जाना तीस प्रतिशत तक निर्बंधित होगा और इस धारा के उपबंध ऐसे सभी व्यय को, जो किसी ऐसे निवासी को संदेय है, लागू होंगे जिन पर कर अध्याय 17 के उपशीर्ष "ख. स्रोत पर कटौती" कटौती योग्य है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) के पहले परंतुक का यह उपबंध करने के लिए भी संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किन्तु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि का तीस प्रतिशत ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 43 जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय से सुसंगत कतिपय निबंधनों की परिभाषाओं से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 43 के खंड (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "सट्टे वाला संव्यवहार" पद को परिभाषित किया गया है । उक्त खंड (5) का परंतुक कतिपय वर्ग के संव्यवहारों को सट्टे वाले संव्यवहार से अपवर्जित करता है । उक्त परंतुक का खंड (ङ) यह उपबंधित करता है कि वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया हो, कोई सट्टे वाला संव्यवहार होना नहीं समझा जाएगा ।

उक्त परंतुक के खंड (ङ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया कोई ऐसा पात्र संव्यवहार जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य कोई सट्टे वाला संव्यवहार नहीं समझा जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16,** आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ जो माल वाहन चलाने,किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय, पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से, लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाएगी । पूर्वोक्त उपधारा (2), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारी माल वाहनों की दशा में, ऐसे प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ, पांच हजार रुपए और भारी माल वाहनों से भिन्न वाहनों की दशा में, प्रत्येक मास या मास के ऐसे भाग के लिए, जिसके दौरान वाहन निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, चार हजार पांच सौ रुपए या आय की विवरणी में उसके द्वारा यथा घोषित पूर्वोक्त रकमों से अधिक किसी रकम के बराबर समझा जाएगा ।

उक्त उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सभी प्रकार के माल वाहनों के लिए प्रति माह माह के भाग के लिए लाभ और अभिलाभ की रकम सात हजार पांच सौ रुपए या निर्धारिती द्वारा वस्तुतः अर्जित की गई रकम, इसमें जो भी अधिक हो, होगी ।

भारी माल वाहन के संदर्भ का लोप करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 17,** आय-कर अधिनियम की धारा 45, जो पूंजी अभिलाभों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 45 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत किन्हीं लाभों या अभिलाभों के प्रभारण का उपबंध है । उपधारा (5) में उन पूंजी अभिलाभों के कराधान का उपबंध है जो अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण से, जहां प्रतिकर में किसी न्यायालय अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा वृद्धि या पुनः वृद्धि की जाती है, उद्भूत होते हैं । उक्त उपधारा के खंड (ख) में यह उपबंधित है कि जहां प्रतिकर की रकम में वृद्धि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा की जाती है वहां उसे उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा रकम प्राप्त की जाती है, प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के उक्त खंड (ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की रकम को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18**, आय-कर अधिनियम की धारा 47, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 47 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कतिपय संव्यवहार को पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

उक्त धारा में नया खंड (viiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है, जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से किया गया कोई अंतरण, पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा । "सरकारी प्रतिभूति" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

एक नया खंड (vii) अन्तःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अंतरणकर्ता को किसी कारबार न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के विनिमय में उस न्यास को विशेष प्रयोजन एकक के शेयर होते हुए पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को धारा 45 के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में नहीं समझा जाएगा । विशेष प्रयोजन एकक का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (23चक) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 48 जो संगणना करने के ढंग से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 48 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने के ढंग को विहित करता है । उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (v) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" पद को परिभाषित करता है जिससे ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय) में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20,** आय-कर अधिनियम की धारा 49 जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत अवधारण करने की पद्धतियों के लिए उपबंध करते हैं ।

धारा 49 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी आस्ति, किसी कारबार न्यास की इकाइयां होते हुए, धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति होती है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, उक्त खंड में उसके लिए निर्दिष्ट शेयरों के अर्जन की लागत होना समझी जाएगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 21,** आय-कर अधिनियम की धारा 51,जो प्राप्त अग्रिम धन के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 51 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां कोई पूंजी आस्ति अपने अंतरण के लिए किसी पूर्व अवसर पर बातचीत का विषय थी वहां ऐसी बातचीत की बाबत निर्धारिती द्वारा प्राप्त और प्राधिकृत किसी अग्रिम या अन्य धन को, यथास्थिति, उस लागत में से, जिस पर आस्ति अर्जित की गई थी या अवलिखित मूल्य में से या उचित बाजार मूल्य में से काट लिया जाएगा ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुई कोई धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की है, वहां ऐसी राशि, अर्जन की लागत की संगणना करने में, यथास्थिति, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या, अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22,** आय-कर अधिनियम की धारा 54,जो निवास के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति के विक्रय पर लाभ के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है जो कोई निवास गृह है तथा निर्धारिती ने अंतरण तारीख से एक वर्ष पहले या दो वर्ष पश्चात् कोई निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है, वहां पूंजी अभिलाभ की रकम, उस सीमा तक छूट प्राप्त है, जो नए निवास गृह में विनिधान की गई है ।

पूर्वोक्त उपधारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि छूट तभी उपलब्ध है जब विनिधान भारत में स्थित एक निवास गृह के सन्निर्माण में किया गया है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23,** आय-कर अधिनियम की धारा 54डग,जो पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित किए जाने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54डग की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है और निर्धारिती ने छह मास की अवधि के भीतर दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां संपूर्ण पूंजी अभिलाभ में से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ में इस प्रकार विनिधान किए गए पूंजी अभिलाभ के अनुपात पर कर प्रभारित नहीं किया जाएगा । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया कोई विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

उक्त उपधारा (1) के पहले परंतुक के नीचे एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 24,** आय-कर अधिनियम की धारा 54च, जो गृह में विनिधान की दशा में कुछ पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ प्रभारित न किए जाने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54च की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो निवास गृह नहीं है, अंतरण से उद्भूत होता है और निर्धारिती ने जिस तारीख को अंतरण हुआ था उस तारीख से पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर उसे सन्निर्मित किया है, वहां पूंजी अभिलाभ की रकम उस सीमा तक छूट प्राप्त है जो नए निवास गृह में विनिधान की गई है ।

पूर्वोक्त उपधारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि छूट तभी उपलब्ध है जब विनिधान भारत में स्थित एक निवास गृह के सन्निर्माण में किया गया है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25,** आय-कर अधिनियम की धारा 56, जो अन्य स्रोतों से आय के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (ix) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप से या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि समपहृत हो जाती है और यदि ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है तो ऐसी धनराशि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 26,** आय-कर अधिनियम की धारा 73, जो सट्टे के कारबार में हानियों के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 73 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी सट्टे के कारबार की बाबत हुई हानियों को मुजरा या अग्रनीत और किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों के प्रति किए जाने के सिवाय मुजरा नहीं किया जा सकता है । धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी आय मुख्यतया कारबार शीर्ष के अधीन प्राप्त कर रही है (उस कंपनी से भिन्न जिसका मुख्य कारबार, बैंककारी का या उधार और अग्रिम देने का है) और जहां उसके कारबार के किसी भाग में शेयरों का क्रय या विक्रय है, वहां ऐसे कारबार को इस धारा के प्रयोजन के लिए सट्टे का कारबार समझा जाएगा ।

धारा 73 के उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध ऐसी किसी कंपनी को भी लागू नहीं होंगे जिसका मुख्य कारबार शेयरों में व्यापार करने का है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 27,** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग, जो जीवन बीमा प्रीमियम आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदाय के संबंध में कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त संपूर्ण रकम की, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि है, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है, कटौती की जाएगी ।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 28,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80गगघ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि जहां किसी व्यष्टि ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी नियोजक द्वारा नियोजित है पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, वहां ऐसी रकम की कटौती, जो वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, अनुज्ञात की जाएगी । यह धारा 80गगङ के अधीन उपबंधित एक लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित किसी व्यष्टि को या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किसी व्यष्टि को ऐसी पेंशन स्कीम के अधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है या की जाए, उसके द्वारा अपने खाते में निक्षिप्त की गई रकम की कटौती, उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक की सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी।

एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कटौतियों की रकम एक लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 29,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ, जो धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौती की सीमा के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौती की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

धारा 80गगङ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 30,** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी उपक्रम को, जो,—(क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन करता है ; (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है ; (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेषण और वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त उपधारा के खंड (iv) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय-सीमा को 31 मार्च, 2014 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31,** आय-कर अधिनियम की धारा 92ख, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के अर्थ के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 92ख के विद्यमान उपबंधों में अंतरण कीमत क्षेत्र के लागू होने के प्रयोजनों के लिए "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" का अर्थ उपबंधित है । उपधारा (1) में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार को दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी हैं, मूर्त या अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की सेवाओं की व्यवस्था या धन उधार देने या उधार लेने की प्रकृति के किसी संव्यवहार को या ऐसे किसी अन्य संव्यवहार को परिभाषित किया गया है जिसका ऐसे उद्यमों के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में किसी उद्यम और असंबद्ध अन्य पक्षकार के बीच किसी संव्यवहार को, दो सहयुक्त उद्यमों के बीच के संव्यवहार के रूप में इस शर्त के अधीन रहते हुए, जिसमें यह उपबंधित है कि अन्य पक्षकार और सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार के निबंधनों को ऐसे अन्य पक्षकार और सहयुक्त उद्यम के बीच सारवान् रूप में अवधारित किया गया हो, समझे जाने का उपबंध है ।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत संव्यवहार को इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उस दशा में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा, जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों, अनिवासी हैं ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 32,** आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का, जो अग्रिम मूल्यांकन करार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 92गग के विद्यमान उपबंधों में बोर्ड को केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त बनाया गया है । ऐसा किया गया करार पांच पूर्व वर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए । जब एक बार अग्रिम मूल्यांकन करार कर दिया जाता है, तब अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की ऐसी असन्निकट कीमत, जो उसकी विषयवस्तु है, को ऐसे करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा । उक्त धारा की उपधारा (9) के अधीन बोर्ड को ऐसी स्कीम, जिसमें अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत साधारणतया रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट हो, विहित करने के लिए सशक्त बनाया गया है ।

धारा 92 में एक नई उपधारा (9क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्रिम मूल्यांकन करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जाएगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें असन्निकट कीमत को किसी व्यक्ति द्वारा पहले पूर्ववर्ष के पूर्व के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की दशा में अवधारित किया जा सकेगा जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत को उक्त करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा । यह और उपबंध किया गया है कि जहां ऐसे करार में पिछले संव्यवहारों की बाबत अवधारण किए जाने का उपबंध है, वहां ऐसे संव्यवहारों की असन्निकट कीमत को करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 33,** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 111क की उपधारा (1) के उपबंधों में कतिपय मामलों में पन्द्रह प्रतिशत की रियायती दर पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर की रियायती दर, कारबार न्यास की किसी यूनिट के अंतरण को वैसे ही लागू होगी जैसे वह साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट की दशा में लागू होती है । इसमें यह और प्रस्ताव है कि इस उपधारा के उपबंध कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल स्वरूप निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई थीं ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 34**, आय-कर अधिनियम की धारा 112 का, जो दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 112 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत आय के मामले में संदेय कर के लिए उपबंध है । उपधारा (1) के परंतुक में यह उपबंधित है कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं या जीरो कूपन बंधपत्र के अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, सूचकांक समायोजन के बिना पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा ।

पूर्वोक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो (किसी इकाई से भिन्न) सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या जीरो कूपन बंधपत्र हैं, अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, सूचकांक समायोजन के बिना पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35**, आय-कर अधिनियम की धारा 115क, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115क की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में उन दरों का उपबंध है जिस पर आय-कर संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में लाभांशों के रूप में (धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न) कोई आय या सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज या सरकार द्वारा या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार ली गई धनराशियां या उपगत ऋण या धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विदेशी करेंसी में क्रय की गई यूनिटों की बाबत प्राप्त आय सम्मिलित है ।

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) का उसमें एक नया उपखंड (iiकग) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में धारा 194ठखक की उपधारा (2) में

निर्दिष्ट ब्याज के रूप में वितरित आय सम्मिलित है, ऐसे ब्याज की आय, पांच प्रतिशत की दर से कराधेय होगी ।

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) की मद (खक) और मद (घ) में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 36,** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग का, जो कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर लगाए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती की, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की ओर से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वहां ऐसी आय में अनाम संदान के रूप में कोई आय सम्मिलित है ।

उक्त धारा के खंड (ii) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा :—

(i) निम्नलिखित रकमों से अधिक रकम के प्राप्त अनाम संदानों के योग पर तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम, अर्थात् :—

(अ) निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत ; या

(आ) एक लाख रुपए ; और

(ii) आय-कर की वह रकम, जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता, जब उसकी कुल आय में से खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (अ) या उपखंड (आ) में निर्दिष्ट रकम से अधिक प्राप्त अनाम संदानों के योग को घटा दिया जाता ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 37,** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ का, जो विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम और आय-कर की उस रकम, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती, का योग होगा । यह और उपबंधित है कि लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

धारा 115खखघ का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विदेशी लाभांशों के कराधान के उपबंध वित्तीय वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी लाभांशों को लागू बने रहेंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 38,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने लिए उपबंधों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ञग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समायोजित कुल आय निकालने के लिए कुल आय में अध्याय 6क के भाग ग के अधीन दावा की गई कटौतियों और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों को जोड़ दिया जाएगा ।

उपधारा (2) में एक नया खंड (iii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समायोजित कुल आय निकालने के लिए धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आई कुल आय में भी धारा 35कघ के अधीन दावा की गई कटौतियों को जोड़ दिया जाएगा ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 39,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञङङ का, जो अध्याय 12खक का कतिपय व्यक्तियों को लागू होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ञङङ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे जिसने अध्याय 6क के भाग ग के अधीन या धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा किया है । यह और कि धारा 115ञङङ की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय, किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

उपधारा (1) में नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अध्याय ऐसे व्यक्ति को लागू होगा जिसने धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया है ।

धारा 115ञङङ में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 115ञग के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय, धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 40,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर प्रभारित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अनुसार संदेय वितरित लाभों पर कर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में कोई रकम, जो उक्त धारा की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट रकम को घटाकर आए [जिसे शुद्ध वितरित लाभ कहा गया है], उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर कर को घटाने के पश्चात् शुद्ध वितरित लाभों के बराबर हो ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41,** आय-कर अधिनियम की धारा 115द, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की किसी रकम पर, जहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पांच प्रतिशत की दर पर और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न है, तीस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर प्रभारित किया जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर किसी पारस्परिक निधि द्वारा किसी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अनिवासी है, वितरित आय की दशा में उद्गृहीत किया जाएगा ।

धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2) के अनुसार संदेय अतिरिक्त आय-कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उसमें निर्दिष्ट वितरित आय की रकम में उतनी रकम, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर अतिरिक्त आय-कर को घटाने के पश्चात्, बढ़ा दी जाएगी जो, वितरित आय की रकम के बराबर हो ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

धारा 115द की उपधारा (3क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, और यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को या उसके पूर्व विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित एक विवरण देगा जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम, उस पर संदत्त कर के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे दिए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।

पूर्वोक्त धारा 115द की उपधारा (3क) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42,** विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115नक का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115नक की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की रकम, उस पर संदत्त कर के ब्यौरे देते हुए विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

पूर्वोक्त धारा 115नक की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 43,** आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12चक, जो "कारबार न्यास से संबधित विशेष उपबंध" से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय में,—

(क) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यूनिट धारकों के पास वितरित आय, आय के उसी अनुपात और प्रकृति की होगी, जैसी न्यास के पास आय की है ;

(ख) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि न्यास की, पूंजी अभिलाभ से भिन्न, कुल आय पर, न्यास पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगाया जाएगा और पूंजी अभिलाभ पर कर धारा 111क और धारा 112 के अनुसार लगाया जाएगा ;

(ग) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, उसी अनुपात में और उसी प्रकृति का है जैसा धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट आय का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा ;

(घ) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय या उसका किसी भाग का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, यूनिटधारक और विहित प्राधिकारी को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 44,** आय-कर अधिनियम की धारा 116, जो आय-कर प्राधिकारियों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 116 में आय-कर प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 116 के अधीन आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त, आय-कर प्रधान आयुक्त, आय-कर प्रधान महानिदेशक और आय-कर प्रधान निदेशक को आय-कर प्राधिकारियों के रूप में सम्मिलित किया जाए ।

ये संशोधन, 1 जून, 2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 45,** आय-कर अधिनियम की धारा 133क, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 133क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध आय-कर प्राधिकारी को ऐसे किसी परिसर में, जिसमें कारबार या वृत्ति की जाती है, सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 133क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (2) के पश्चात् उपधारा (2क) इस बात का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा सके कि उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन कार्य कर रहा आय-कर प्राधिकारी, इस बात का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि कर, यथास्थिति, अध्याय 17 के शीर्ष ख या अध्याय 17 के उपशीर्ष खख के अधीन के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया है, ऐसे किसी कार्यालय या किसी अन्य स्थान में, जहां कारबार या वृत्ति की गई है, उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसे किसी स्थान में, जिसकी बाबत, वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है, जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है, जहां लेखा पुस्तकें या दस्तावेज रखे गए हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत हैं, सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर सकेगा और कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर उस कार्य के लिए किसी रीति में उपस्थित हो,—

(i) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का, जिनकी वह अपेक्षा करे और उस स्थान पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की, और

(ii) ऐसी सूचना, जिसकी वह ऐसे विषय के संबंध में अपेक्षा करे, प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा 133क की उपधारा (3) के खंड (iक) के परंतुक के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, आयुक्त या मुख्य महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल दस दिन की अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा 133क की उपधारा (3) का खंड (iक) के पूर्वोक्त खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन से अधिक के लिए (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा ।

उपधारा (3) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी खंड (iक) या खंड (ii) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 46,** आय-कर अधिनियम की धारा 133ग, जो विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने की शक्ति से संबंधित है, का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

एक नई धारा 133ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को, कोई सूचना उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47**, आय-कर अधिनियम की धारा 139, जो आय की विवरणी से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 139 की उपधारा (4ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, ऐसी कतिपय इकाइयों द्वारा, जिनकी आय अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त है, आय की विवरणी फाइल किए जाने का उपबंध है ।

धारा 139 की उपधारा (4ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि और धारा 10 के खंड (23घक) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास और धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, यदि ऐसी कुल आय, जिसकी बाबत निधि, न्यास या कपंनी निर्धार्य है, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी, जो विहित प्ररूप में हो, और विहित रीति में सत्यापित हो तथा जिसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, उसी रूप में लागू होंगे मानो वह ऐसी विवरणी है, जिसे उक्त धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

धारा 139 में नई उपधारा (4ङ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसे कारबार न्यास द्वारा, जिसका धारा के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, आय की विवरणी फाइल करने का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 48,** आय-कर अधिनियम की धारा 140, जो विवरणी किसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 140 विवरणी किसके द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, के संबंध में है । अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी आय-कर विवरणी पर, हस्ताक्षर करने की शर्त से छूट प्रदान की जा सके तथा तदनुसार ऐसी विवरणी पर हस्ताक्षर करने की कानूनी अपेक्षा का लोप किया जा सके । इस संशोधन से आय-कर विवरणी को केवल सत्यापित करने की शर्त ही लागू होगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49,** आय-कर अधिनियम की धारा 142क, जो कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन से संबंधित है, को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन अधिकारी से किसी विनिधान, किसी सोना-चांदी, आभूषण या उचित बाजार मूल्य की किसी संपत्ति के मूल्य का प्राक्कलन करने की अपेक्षा कर सकेगा । मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

उक्त धारा 142क को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य, जिसके अंतर्गत उचित बाजार मूल्य भी है, प्राक्कलित करने और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत करने का निर्देश कर सकेगा ।

उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन इस बात का कोई निर्देश कर सकेगा कि उसका निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता के बारे में समाधान हो गया है कि नहीं ।

उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश पर आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन उसे प्राप्त हैं ।

उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे साक्ष्य पर, जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाए और उसके कब्जे से एकत्रित किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित करेगा ।

उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित कर सकेगा ।

उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, छह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्राक्कलन की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (7) के पश्चात् आने वाला स्पष्टीकरण यह उपबंध करने के लिए है कि "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (द) में उसका है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 50,** आय-कर अधिनियम की धारा 145, जो लेखा पद्धति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय, उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त रोकड़ या वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी । उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण किए जाने वाले लेखा पद्धति मानकों को समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी । उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है या जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी, धारा 144 में उपबंधित रीति से निर्धारण कर सकेगा ।

धारा 145 की उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण की जाने वाली आय संगणना की रीति और संबंधित प्रकटन मानक अधिसूचित कर सकेगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है या जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 144 में उपबंधित रीति से निर्धारण कर सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 51,** आय-कर अधिनियम की धारा 153, जो निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (iv) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि को धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 52**, आय-कर अधिनियम की धारा 153ख, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153ख के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए उक्त धारा में अधिकथित परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय अपवर्जित किया जाना है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में एक नया खंड (iiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी आय कर अधिनियम की धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि को धारा 153ख के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना से अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53,** आय-कर अधिनियम की धारा 153ग, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों से यह उपबंधित है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही या दस्तावेज या अभिग्रहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज, धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही या दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और सूचना जारी करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लेखा बहियां, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं, तो ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 54,** आय-कर अधिनियम की धारा 194क, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 194क की उपधारा (3) में एक नया खंड (xi) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विशेष प्रयोजन एकक किसी कारबारी न्यास को संदेय ब्याज की आय पर स्रोत पर कर की कटौती से छूट दी जा सके ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 55,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194घक, जो जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

एक नई धारा 194घक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में

आबंटित ऐसी राशि भी है, जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले को, यथास्थिति, किए गए ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से कम है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 56,** आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ठखक, जो किसी कारबार न्यास से कतिपय आय के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त नई धारा का प्रस्ताव कारबार न्यास के अनिवासी यूनिट धारकों की दशा में, पांच प्रतिशत की दर से और निवासी यूनिट धारकों की दशा में दस प्रतिशत की दर से, न्यास की वितरित आय के उस भाग पर, जो यूनिट धारक को मिलने पर कराधेय है, कर की कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 57,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग, जो भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विधारित कर की निम्नतर दर का फायदाप्रद उपबंध, उसमें उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भारतीय कंपनी को उपलब्ध है ।

उक्त धारा का कारबार न्यास द्वारा, धारा में उपबंधित समान शर्तों के अधीन रहते हुए, बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मामले में ब्याज से आय पर घटे हुए विधारित कर के फायदे का उपबंध करने के लिए है, संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 194ठग की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन पांच प्रतिशत की दर से निम्न प्रत्याहूत कर दर के लिए पात्र ब्याज विनिर्दिष्ट किया गया है । केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के रूप में या ऋण करार के अधीन भारत से बाहर स्रोतों से विदेशी करेंसी में विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा लिए गए उधारों पर उसके द्वारा संदेय ब्याज आय होगी । यह उपधारा यह और उपबंध करती है कि 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2015 से पूर्व किसी समय उधार लिए जाने चाहिए ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उधार, वर्तमान में उपबंधित 1 जुलाई, 2015 की अंतिम तारीख के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 के पूर्व लिए जा सकेंगे । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा का फायदा वर्तमान में उपबंधित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों को, जिनके अंतर्गत दीर्घकालिक बंधपत्र भी हैं, प्राप्त होगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 58,** आय-कर अधिनियम की धारा 200, जो कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा, और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

पूर्वोक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा व्यक्ति, जो पूर्वोक्त उपधारा के अधीन विवरण परिदत्त करता है, किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई जानकारी में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण विहित प्राधिकारी को परिदत्त कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 59,** आय-कर अधिनियम की धारा 200क, जो स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां स्रोत पर कर कटौती का कोई विवरण धारा 200 के अधीन किसी धनराशि की कटौती करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, वहां ऐसे विवरण पर उक्त उपधारा में उपबंधित रीति में कार्रवाई की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इसमें स्रोत पर कर कटौती के विवरण के अतिरिक्त संशोधन विवरण भी सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 60,** आय-कर अधिनियम की धारा 201, जो कटौती करने या संदाय करने की असफलता के परिणामों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 201 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 200 में निर्दिष्ट विवरण फाइल किया गया है, अंत से दो वर्ष तथा किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।

धारा 201 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, सात वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61**, आय-कर अधिनियम की धारा 206कक, जो स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि धारा 206कक, अधिनियम की धारा 194ठग में निर्दिष्ट दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

उपधारा (7) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 206कक अधिनियम की धारा 194ठग में निर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 62,** आय-कर अधिनियम की धारा 220, जो कर कब संदेय होगा और निर्धारिती को कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा, से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कोई रकम, जो धारा 156 के अधीन किसी मांग की सूचना में संदेय के रूप में विनिर्दिष्ट हो, सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर सूचना में वर्णित स्थान पर और व्यक्ति को संदत्त की जाएगी ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी मांग सूचना की किसी निर्धारिती पर तामील की गई है और, यथास्थिति, उक्त मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है, या अन्य कार्यवाही आरंभ की जाती है वहां ऐसी मांग सूचना को, यथास्थिति, अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा किए जाने तक या कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने तक विधिमान्य समझा जाएगा और मांग की ऐसी किसी सूचना का प्रभाव कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाहियां को चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का पहला परंतुक यह उपबंधित करता है कि जहां धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 264 के अधीन दिए गए किसी आदेश या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दी गई है वहां ब्याज तदनुसार कम कर दिया जाएगा और संदत्त किया गया अधिक ब्याज, यदि कोई हो, प्रतिदत्त कर दिया जाएगा ।

उक्त धारा में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दिया गया था और तत्पश्चात् उक्त धाराओं या धारा 263 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ा दिया जाता है तो निर्धारिती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पहली मांग सूचना में वर्णित किसी अवधि के अंत से ठीक बाद के दिन से और उस दिन तक जिसको रकम का संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाले दिन तक, उपधारा (2) के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

ये संशोधन 1 अक्तबूर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 63,** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का, जो कुछ उधार और निक्षेप लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही लेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम अथवा ऐसे उधारों या निक्षेपों की कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा ही लेगा या प्रतिग्रहीत करेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम अथवा ऐसे उधारों या निक्षेपों की कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 64,** आय-कर अधिनियम की धारा 269न का, जो कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम उस पर ब्याज सहित या ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित कुल रकम, बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

धारा 269न का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, उसको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा उधार दिया है या निक्षेप किया है, नाम लिखे गए, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा ही करेगा अन्यथा नहीं, यदि उधार या निक्षेप की रकम उस पर संदेय ब्याज सहित या ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई है, बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 65,** आय-कर अधिनियम की धारा 271चक का, जो वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271चक के विद्यमान उपबंधों में, वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 66,** नई धारा 271चकक को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

एक नई धारा 271चकक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, विवरण में गलत सूचना देता है, और जहां, (क) अशुद्धि, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण हुई है या व्यक्ति की ओर से जानूबझकर की गई है ; या (ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रदान करते समय अशुद्धि के बारे में जानकारी थी किन्तु वह आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है ; या (ग) व्यक्ति को अशुद्धि के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने और सही सूचना देने में असफल रहता है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पचास हजार रुपए की रकम का शास्ति के रूप में उस दशा में संदाय करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67**, आय-कर अधिनियम की धारा 271छ जो अधिनियम की धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने के लिए शास्ति का उद्ग्रहण करने से संबंधित संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करता है, धारा 92घ की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित कोई ऐसा दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि की शास्ति के लिए दायी होगा । उक्त धारा में यह उपबंधित है कि उपरोक्त शास्ति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी ।

धारा 271छ का, उसमें निर्धारण अधिकारी और आयुक्त (अपील) के अतिरिक्त, धारा 271छ के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 68**, आय-कर अधिनियम की धारा 271ज का, जो विवरण, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271ज की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उन परिस्थितियों का उपबंध किया गया है, जिनमें व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

धारा 271ज की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271ज के अधीन उद्गृहीत शास्ति निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्गृहीत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 69,** आय-कर अधिनियम की धारा 276घ, जो लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहने से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 276घ के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेजें पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 276घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेजें पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 70**, आय-कर अधिनियम की धारा 281ख, जो कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 281ख की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारण से संबंधित किसी संपत्ति को दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि अनंतिम कुर्की, छह मास की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी, परंतु मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी कालावधि को कुल दो वर्ष की कालावधि तक बढ़ा सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम कुर्की छह मास की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी, परन्तु, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, ऐसी कालावधि को कुल दो वर्ष की कालावधि या निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख के पश्चात् साठ दिन तक, इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो, बढ़ा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 71**, आय-कर अधिनियम की धारा 285खक, जो वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है, के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा 285खक के विद्यमान उपबंधों में, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों की बाबत, जो उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित हैं और जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, वार्षिक सूचना विवरणी विहित आय-कर प्राधिकारी को फाइल किए जाने का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था द्वारा किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते की बाबत सूचना का विवरण विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का उपबंध किया जा सके । इसमें यह और प्रस्ताव है कि सूचना का विवरण ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुसरण में कोई सूचना का विवरण प्रस्तुत किया है, उस विवरण में दी गई सूचना में की किसी अशुद्धि की जानकारी होती है या उसका पता चलता है, तो वह दस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, उस विवरण में की अशुद्धि की सूचना देगा और सही सूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है ;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सूचना खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी ; और

(ग) व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 72,** सीमाशुल्क अधिनियम का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क अधिनियम में सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश के अंतर्गत, यथास्थिति, सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त के निर्देश को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 73,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिकारियों के वर्ग में सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 74,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 का "या यान" शब्द अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन करने के लिए है जिससे परिवहन के अन्य साधनों के साथ यान द्वारा पहुंचाए गए पहुंचाए गए आयातित माल के शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर का अवधारण करने के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को अवधारित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 75,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध करने के लिए उसमें उपधारा (7) और उपधारा (8) अंतःस्थापित की जा सके कि राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 6 और धारा 7 में यथा निर्दिष्ट क्रमशः भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित खनिज तेलों को जिनके अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी हैं जो 7 फरवरी, 2002 के पूर्व आयातित किए गए हैं सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव से छूट प्राप्त समझा जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे खनिज तेलों की बाबत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी । इसमें यह भी उपबंधित है कि उसमें विनिर्दिष्ट खनिज तेलों के संबंध में ऐसी छूट की बाबत ऐसी छूट के होते हुए भी ऐसे खनिज तेलों के संबंध में संदत्त सीमाशुल्क का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 76,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे पहले परंतुक का लोप और अग्रिम जोखिम निर्धारण, प्रक्रमण और विधि सम्मत व्यापार को सुकर बनाने के लिए भूमि स्थित सीमाशुल्क स्टेशनों पर अग्रिम आयात घोषणा फाइल करने हेतु समर्थ बनाने की दृष्टि से दूसरे परंतुक का संशोधन किया जा सके जिससे उसे समुद्र पत्तन और विमान पत्तन की पद्धतियों के समान और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 77,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (च) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग को पुनर्नामित करने की दृष्टि से, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 78,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे दस्तावेजों के आधार पर समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने हेतु आवेदक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उसमें कतिपय और दस्तावेज सम्मिलित किए जा सकें । यह शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज के विद्यमान उपबंध के अनुरूप बनाने के लिए "धारा 28कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 28कक" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित करने के लिए उसके खंड (ग) का संशोधन करने के लिए भी है । यह उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है क्योंकि यह निरर्थक हो गई है और इसके भिन्न-भिन्न निर्वचन होते हैं ।

विधेयक का **खंड 79,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) के खंड (i) का इस भ्रम से बचने हेतु कि छिपाव सीमाशुल्क अधिकारी से किया गया है या समझौता आयोग से किया गया है और उस उपबंध को स्पष्ट करने हेतु संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क के दायित्व की विशिष्टियों का छिपाया जाना सीमाशुल्क अधिकारी से किए गए किसी छिपाव से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 80**, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखने के लिए है जिससे दो लाख रुपए तक के मामलों में अपील ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण को विवेकानुसार शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 81,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए है, जिससे धारा 129ङ के स्थान पर, एक नई धारा का प्रतिस्थापन किए जाने के दृष्टव्य पारिणामिक परिवर्तन किए जा सकें ।

विधेयक का **खंड 82**, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड में उस अवधि को, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त उपधारा में नियत अवधि के भीतर आदेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है, बढ़ाने की शक्ति निहित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 83,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या उद्गृहीत शास्ति या दोनों का कतिपय प्रतिशत जमा करने का उपबंध करने के लिए है । यह, यह और उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के उपबंध विधेयक के अधिनियमन के पूर्व अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का **खंड 84,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131खक की उपधारा (4) में "आयुक्त (अपील)" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश की सुनवाई करने वाले आयुक्त (अपील) को उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिनके अधीन अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा उसकी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में फाइल नहीं किया गया था ।

विधेयक का **खंड 85,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, तारीख 8 फरवरी, 2013 से, 10 जुलाई, 2014 तक भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने के लिए है जिससे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू देशी उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) को प्रदाय के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को छूट दी जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 86,** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (2क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 87,** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) एक टैरिफ मद का लोप किया जा सके ; और

(ख) कतिपय टैरिफ मदों पर सीमाशुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके ; और

(ग) कतिपय माल की बाबत स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों का संशोधन किया जा सके।

उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 88,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस अधिनियम में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश के अंतर्गत, यथास्थिति,केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 89,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की परिभाषा में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 90,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 15क अंतःस्थापित करने के लिए जिससे कि केंद्रीय सरकार को ऐसे किसी प्राधिकारी या अभिकरण को, जिसको सूचना विवरणी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा फाइल की जाएगी, जैसे कि आय-कर प्राधिकारी, राज्य विद्युत बोर्ड, मूल्य वर्धित कर प्राधिकारी या विक्रय-कर प्राधिकारी, कंपनी रजिस्ट्रार को विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके । अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जैसे कि कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए या अभिपुष्ट शोध्य राशियों की वसूली के लिए सूचना एकत्र की जा सकेगी । यह नई धारा 15ख को अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिसमें सूचना विवरणी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में शास्ति के अधिरोपण का उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 91,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (छ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग को पुनर्नामित करने की दृष्टि से, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 92,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 का, धारा 31 के खंड (छ) में संशोधन करने की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने के दृष्टव्य संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 93,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) का उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे कि समझौता आयोग को उस दशा में, जहां आवेदक द्वारा विवरणियां फाइल नहीं की जाती हैं, उसके आवेदन को ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। यह "धारा 11कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखने के लिए भी है, जिससे इसे शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज के विद्यमान उपबंध के अनुरूप बनाया जा सके । यह उस धारा की उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है क्योंकि वह निरर्थक हो गई है और इससे भिन्न-भिन्न निर्वचन होते हैं ।

विधेयक का **खंड 94,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) के खंड (i) का इस भ्रम से बचने कि छिपाव केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से किया गया है या समझौता आयोग से किया गया है और इस उपबंध को स्पष्ट करने हेतु संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क के दायित्व की विशिष्टियों का छिपाया जाना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से किए गए ऐसे किसी छिपाव से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 95,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि —

उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जा सकें जिससे कि दो लाख रुपए तक के मामलों में अपील ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण को विवेकानुसार शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

उपधारा (1ख) के खंड (i) का संशोधन किया जा सके जिससे कि बोर्ड को समिति का गठन, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के बजाय आदेश द्वारा, करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 96,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए है, जिससे धारा 35च के स्थान पर, एक नई धारा का प्रतिस्थापन किए जाने के दृष्टव्य पारिणामिक परिवर्तन किए जा सकें ।

विधेयक का **खंड 97,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि बोर्ड में उस अवधि को, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त उपधारा में नियत अवधि के भीतर आदेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है, बढ़ाने की शक्ति निहित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 98,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च को अपील के फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या उद्गृहीत शास्ति की कतिपय प्रतिशतता जमा कराने का उपबंध करने के लिए है । यह, यह भी उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के उपबंध विधेयक के अधिनियमन के पूर्व अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का **खंड 99,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ में एक नई उपधारा (2) का अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कराधेयता या उत्पाद-शुल्क्यता से संबंधित विवादों का अवधारण, "शुल्क की दर से संबंधित किसी प्रश्न का अवधारण" पद के अधीन सम्मिलित है ।

विधेयक का **खंड 100,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35द की उपधारा (4) में "आयुक्त (अपील)" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश की सुनवाई करने वाले आयुक्त (अपील) को उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिनके अधीन अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा उसकी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में फाइल नहीं किया गया था ।

विधेयक का **खंड 101,** पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के, जो अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 [अधिसूचना सं0 30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008] द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, नियम 8 का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, 13 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त नियम के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 102,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना [अधिसूचना सं0 5/2006-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006], द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का पांचवीं अनुसूची भूतलक्षी रूप से, —

(क) 29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक संशोधन करने के लिए है जिससे कि—

(i) प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न पर ।

(ii) ऐसे सन पर, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (i) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो,

उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके ;

(ख) 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक संशोधन करने के लिए जिससे बहुमूल्य धातु की बिना ब्रांड की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की जा सके ।

विधेयक का **खंड 103,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से निम्नलिखित तारीख से भूतलक्षी रूप से —

(i) 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक संशोधन करने के लिए जिससे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन

लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को छूट प्रदान की जा सके ; और

(ii) 17 मार्च, 2012 से 7 मई, 2012 तक प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न को उत्पाद-शुल्क से, छूट प्रदान की जा सके ;

(iii) 17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2013 तक ऐसे सन को, जो कारखाने के भीतर उपरोक्त प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उपभोग किया गया हो, उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की जा सके ।

विधेयक का **खंड 104,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय मदों को अंतःस्थापित किया जा सके और कतिपय मदों को संशोधित किया जा सके ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 105,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) कतिपय टैरिफ मदों पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) टैरिफ मद का लोप किया जा सके ;

(ग) टैरिफ मद में परिवर्तन समाविष्ट किए जा सकें ;

(घ) कतिपय माल की बाबत स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों का संशोधन किया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 106,** वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5, जो सेवा कर से संबंधित है, के कतिपय उपबंधों का निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है,—

उपखंड (क) धारा 65ख के खंड (32) का संशोधन करने के लिए है जिससे "मीटर वाली कैब" की परिभाषा से रेडियो टैक्सी को अपवर्जित किया जा सके और उसमें एक नया खंड (39क) अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे "प्रिंट मीडिया" की परिभाषा का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 66घ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि-

(क) खंड (छ) को प्रतिस्थापित किया जा सके और प्रिंट मीडिया के लिए स्थान के विक्रय को सेवाओं की नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट किया जा सके ;

(ख) खंड (ण) के उपखंड (vi) से "रेडियो टैक्सी" का लोप किया जा सके जिससे रेडियो टैक्सियों द्वारा दी गई सेवाओं पर सेवा कर के उद्ग्रहण का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ग) धारा 67क का संशोधन करने के लिए है जिससे "विनिमय दर" के संबंध में स्पष्टीकरण, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, प्रतिस्थापित किया जा सके ।

उपखंड (घ) धारा 73 का, उसमें उपधारा (4ख) अंतःस्थापित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन के लिए समय सीमा, अनुषक्त किए जाने वाले मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, जहां संभव हो, छह मास या एक वर्ष विनिर्दिष्ट की जा सके ।

खंड (ङ), धारा 80 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रति निर्देश का लोप किया जा सके ।

खंड (च), धारा 82 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त या ऐसा अन्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेजें या बहिएं या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई हुई हैं, वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों या बहियों या वस्तुओं के लिए तलाशी लेने और अभिगृहीत करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं तलाशी ले सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा;

खंड (छ), धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2क), धारा 15क और धारा 15ख के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

उपखंड (ज) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उपधारा (1क) के खंड (i) का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को एक समिति का गठन, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के बजाय आदेश द्वारा, करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । यह उक्त धारा का संशोधन करने के लिए भी है जिससे उसकी उपधारा (6क) के खंड (क) में "रोके जाने की मंजूरी या" शब्दों का लोप किया जा सके ।

उपखंड (झ) धारा 87 का, उसके खंड (ग) में परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है, जिससे कि पूर्वाधिकारी की शोध्यों की वसूली किसी उत्तराधिकारी की आस्तियों से करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ञ), धारा 94, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (ट), उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा अंतःस्थापित कतिपय उपबंधों की दशा में कठिनाई को दूर करने हेतु आदेश जारी करने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक सशक्त बनाया जा सके ।

उपखंड (ठ), धारा 100 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई, 2012 के पूर्व प्रदान की गई कराधेय सेवाओं की दशा में भूतलक्षी रूप से छूट का उपबंध किया जा सके ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 107**, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करने हेतु संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 108**, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी रकम के संबंध में नियत दिन को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कोई आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय-कर छूट का फायदा उक्त उपक्रम को 1 अप्रैल, 2014 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए दिया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 109**, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7, जो स्टाक एक्सचेंज पर किसी कंपनी के साधारण शेयरों के संव्यवहार पर प्रतिभूति संव्यवहार कर के उद्ग्रहण करने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

कारबार न्यास की यूनिटों के संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर के उद्ग्रहण का उपबंध उन्हीं आधारों पर करने के लिए, जो किसी कंपनी में साधारण शेयरों के संव्यवहार को लागू होते हैं, उक्त अध्याय का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 110,** वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के पार्श्वशीर्ष और उसकी सातवीं अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे वातित जल और अन्य जल, जिसमें मिलाई गई चीनी पर 5% उपकर अधिरोपित किया जा सके और फिल्टर वाली सिगरेट से संबंधित टैरिफ मद 2402 20 60 का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 111,** वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके अधीन स्वच्छ ऊर्जा उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों की परिधि का विस्तार किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 112,** वित्त अधिनियम, 2014 का निरसन करने के लिए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 10, जो आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है, के खड (23ग), का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के खंड (23ग) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपखंड (iiiकख) और उपखंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए उनमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उस विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ जो, "विनिर्दिष्ट कारबार" पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) और उपधारा (8) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार के प्रति लागू होंगे, यदि वह अपना प्रचालन 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है, जहां कि विनिर्दिष्ट कारबार अर्द्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण यूनिट की स्थापना करने और उसका प्रचालन करने की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किया जाता है ।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग में, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है, एक नई उपधारा (9क) अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (9क) में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का या उस रीति को विनिर्दिष्ट करने का उपबंध किया जा सके, जिसमें असन्निकट कीमत का किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों में से प्रथम पूर्ववर्ष से पूर्व के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारण किया जाएगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 43 एक नए अध्याय 12चक को, जो कारबार न्यास से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय की धारा 115पक, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर लगाए जाने से संबंधित है, की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति यूनिट धारक और विहित प्राधिकारी को, ऐसे समय और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए, एक विवरण, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, दिए गए हों, प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 133ग, जो विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंधित है कि ऐसा आय-कर प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को, कोई सूचना उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271चकक, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत सूचना देता है और जहां उस व्यक्ति को उस अशुद्धि की जानकारी है किंतु वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, उसकी सूचना नहीं देता है तो विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

विधेयक का खंड 71 धारा 285खक, जो वित्तीय संव्यवहार और रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है, के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था है, जो किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित किया जाए, रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा समय में प्रस्तुत की जाएगी, जो विहित किया जाएं ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" से ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है जो विहित किया जाए । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि ऐसे संव्यवहारों का इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा (क) उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, (ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें सूचना इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा रखी जाएगी, और (ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 90 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में दो नई धाराएं, धारा 15क और धारा 15ख, अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 15क में केंद्रीय सरकार को, उन अवधियों को, जिनके लिए उस समय को जिसके भीतर, वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह प्राधिकारी या अभिकरण जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सूचना विवरणी प्रस्तुत की जाएगी, विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है ।

विधेयक का खंड 106 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5, जो सेवाकर से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) धारा 67क में, केंद्रीय सरकार को विनिमय दर का अवधारण करने का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए, स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (ञ) धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को कतिपय विषयों की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (ट) उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को, जो प्रस्तावित विधान द्वारा समाविष्ट संशोधन को क्रियान्वित करने में उत्पन्न हो, दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके और ऐसी शक्ति का प्रयोग विधेयक को अनुमति मिलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के परे नहीं किया जाएगा ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना अथवा आदेश जारी किया जा सकेगा, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]